ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत टकारला में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रेनू बाला	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिवः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विकास चौधरी	01.04.2022 से 15.05.2023
2.	श्री जोगिन्दर पाल	16.05.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	10.38
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.16
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.08
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.91
5)	8.2	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करना	2.06
6)	8.3	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.47
7)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.55
8)	8.5	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.33
9)	8.6	सचिव / प्रधान द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में भुगतान करना	0.21
10)	9.1	व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8.50

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर संख्या 28 अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 314216 दिनांक 15.11.2017 द्वारा कर ली गई है)

2.	पैरा-4 व 4.1	अनिर्णीत।	
3.	पैरा-5	निर्णीत।	गृहकर की वसूली की पुष्टि उपरान्त।
4.	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुनः प्रारूपित।
5.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
7.	पैरा- 9	निर्णीत।	₹100000/- की वसूली रसीद संख्या 449212 से 449215 दिनांक 21.08.19, 22.08.19 व 24.08.19 द्वारा कर ली गई है तथा जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 99 पर कर ली गई है।
8.	पैरा- 10	अनिर्णीत	
9.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-16	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुनः प्रारूपित।
15.	पैरा-17	अनिर्णीत	
16.	पैरा-18	अनिर्णीत	
17.	पैरा-19	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.04.2024 से 18.04.2024 तक ग्राम पंचायत टकारला के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	08/2022
2023-24	02/2024	03/2024

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 369/2024 दिनांक 18/04/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत टकारला द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 315611 दिनांक 19/04/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत टकारला द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08/04/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान चार रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2022-23	2581283.81	5274415.42	7855699.23	6338356.12	1517343.11
1	2023-24	1517343.11	5677372.91	7194716.02	6156774.91	1037941.11

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत टकारला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2024 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹95456.70** था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	1037941.11
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष **परिशिष्ट 'क-1'**	**1132971.96**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	425.85
	योग (2+3)	**1133397.81**
	अन्तर (4-1)	**95456.70**

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb	20009003978	308691.04
2	KCCB Amb	20009003333	5336.96
3	KCCB Amb	50076207063	777.00
4	CBI Bhehra	2206240399	28278.96
5	UCO Thathal	15060100002976	113.00
6	IndusInd Una	100209085546	48593.00
7	HDFC Amb (15th fc)	50100339393545	741182.00
		योग	**1132971.96**
हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)			425.85
		योग (1+2)	**1133397.81**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.95 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को निम्न विवरणानुसार शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹95456.70** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 362/2024 दिनांक 16/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	रोकड़ बही का नाम	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष	दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग	अन्तर
1	**2**	**3**	**4**	**5(4-3)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	379829.81	392215.81	12386.00
2	15वां वित्तायोग	658101.3	741182.00	83070.70
			कुल अंतर	**95456.70**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08.04.2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 18/04/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹10.38 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08.04.2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट क** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹1037941.10** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए

सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08.04.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08.04.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 18/04/2024द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08.04.2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 18/04/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹15690 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	5750	99825	105575	104285	1290
2023-24	1290	67100	68390	52700	15690

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना

अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में सलंग्न **परिशिष्ट ग** अनुसार वसूली गई राशि **₹8400** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	4600
2	2023-24	3800
	योग	**8400**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 352/2024 दिनांक 08/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 06/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹800 की वसूली न करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सलंग्न **परिशिष्ट "ग"** में वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से **₹800** की वसूली नहीं की गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	800

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 351/2024 दिनांक 09/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 06/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में न वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में न वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.91 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट "घ"** अनुसार कुल ₹390540 की सामग्री में से **₹243540** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष ₹147000 (390540-243540) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 367/2024 दिनांक 18/04/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 ₹2.06 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री

हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 08/2022 में **₹206360** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 354/2024 दिनांक 10.04.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित) (₹)
1	मनरेगा	69	08/22	4000 टाईल / पेवर @ 9.38/- प्रति पेवर	37520
2	मनरेगा	70	08/22	4000 टाईल / पेवर @ 9.38/- प्रति पेवर	37520
3	मनरेगा	71	08/22	3000 टाईल / पेवर @ 9.38/- प्रति पेवर	28140
4	मनरेगा	72	08/22	4000 टाईल / पेवर @ 9.38/- प्रति पेवर	37520
5	मनरेगा	73	08/22	4000 टाईल / पेवर @ 9.38/- प्रति पेवर	37520
6	मनरेगा	74	08/22	3000 टाईल / पेवर @ 9.38/- प्रति पेवर	28140
				योग	**206360**

8.3 ₹1.47 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि

04/22 से 03/24 के चयनित माह 03/2024 में **निम्न विवरणानुसार ₹147000** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 368/2024 दिनांक 18/04/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	मनरेगा	शून्य 03/24	11, 69, 70 01.02.23, 02.05.23	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	मिट्टी	147000

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.55 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार ₹54600 का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 360/2024 दिनांक 16/04/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा

ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: खनन सामग्री का वैध स्रोत सुनिश्चित करते हुये मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए तथा तदानुसार **₹54600** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.5 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.33 लाख का अधिक भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में **₹**250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट च** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1638718** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹32775** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	पेवर	386880	386880	7738/- (2% x 386880)
2	2022-23	बलबीर सिंह VPO टकारला	रेत, बजरी ढुलाई इत्यादि	876575	876575	17532/- (2% x 876575)
3	2023-24	बलबीर सिंह VPO टकारला	रेत, बजरी ढुलाई इत्यादि	375263	375263	7505/- (2% x 375263)
				योग	**1638718**	**32775**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 361/2024 दिनांक 16/04/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹32775** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8.6 सचिव / प्रधान द्वारा चैक से स्वयं राशि आहरित करके ₹0.21 लाख का नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित मासों 08/22 में किए गए व्यय के अंकेक्षण में पाया गया कि सचिव / प्रधान द्वारा **निम्न वर्णित ₹20700** की मजदूरी /कार्यालय व्यय के लिए भुगतान चैक से स्वयं राशि आहरित करके नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000/- से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 363/2024 दिनांक 16/04/2024 द्वारा सचिव से आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त नगद भुगतान मजदूरों के बैंक खाते न होने के कारण किया गया था जिसे अब दिनांक 01.04.23 से RTGS / Cheque / NEFT द्वारा किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | मामला विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है । अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम संख्या	**चैक संख्या**	**दिनांक**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	हस्तगत	01.08.2022	1800	Refrigerator Repair
2	211917	29.08.2022	18900	मजदूरी
		योग	**20700**	

9.1 ₹8.50 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त

अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 08/2022 व 03/2024 में सलंग्न **परिशिष्ट छ** में वर्णित कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹850055** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365/2024 दिनांक 16/04/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

9.2 उचित बिलों के बिना 0.10 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार प्रत्येक दावा उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित शीर्ष) से निम्न विवरणानुसार **₹9810** का भुगतान उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर किया गया था जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 364/2024 दिनांक 16/04/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 05 दिनांक 18/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। अतः उक्त व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**वाउचर संख्या व माह**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता**	**क्रय सामान का विवरण**	**राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत	26	शून्य	कैलाश चन्द	चाय, समोसा	2800

	व अनुदान (समेकित)	08/22	29.08.22	टकारला		
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	27 08/22	शून्य 29.08.22	दाता राम टकारला	पकौड़े	3750
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	94 03/24	शून्य 20.03.24	कैलाश चन्द टकारला	चाय, समोसा	3260
					योग	**9810**

9.3 अग्रिम राशि ₹0.18 लाख समायोजन हेतू शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08/04/2024 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 18/04/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन को सीमेंट के क्रय हेतू निम्नानुसार ₹18227 का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.24 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अत: हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कारपोरेशन से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

क्रमांक	**शीर्ष का नाम**	**बिल संख्या व दिंनाक**	**फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया**	**सामान का विवरण**	**अग्रिम राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/24 तक समायोजित राशि (₹)**	**दिनांक 31/03/24 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)**
1	मनरेगा	114972 10.04.23	HP CIVIL SUPPLIES COR. LTD. SHIMLA	सीमेंट	18227	0	18227
						योग	**18227**

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 347/2024 दिनांक 08.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 04 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 346/2024 दिनांक 08.04.2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 03 दिनांक 18/04/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत

द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

3451-3455

18 JUL 2024 का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)28/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5. सचिव, ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

18 JUL 2024 का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2581283.81	5274415.42	7855699.23	6338356.12	1517343.11
2	2023-24	1517343.11	5677372.91	7194716.02	6156774.91	1037941.11

21

ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	711455.51	864909	1576364.51	1252475.7	323888.81
2	2023-24	323888.81	2045538	2369426.81	1989597	379829.81

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	312000	312000	312000	0

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1869828.3	1556611	3426439.3	2232985	1193454.3
2	2023-24	1193454.3	512175	1705629.3	1047518	658111.3

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2540895.42	2540895.42	2540895.42	0
2	2023-24	0	3119659.91	3119659.91	3119659.91	0

सचिव
ग्राम पंचायत टकारला
विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

22

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	1037941.11
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**1132971.96**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	425.85
4)	**योग (2+3)**	**1133397.81**
5)	**अन्तर (4-1)**	**95456.70**

सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड ... जिला ... (हि० प्र०)

परिशिष्ट 'क-1'

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb	20009003978	308691.04
	KCCB Amb	20009003333	5336.96
	KCCB Amb	50076207063	777.00
	CBI Bhehra	2206240399	28278.96
	UCO Thathal	15060100002976	113.00
	IndusInd Una	100209085546	48593.00
	HDFC Amb (15th fc)	50100339393545	741182.00
		योग	**1132971.96**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	425.85
		योग (1+2)	**1133397.81**

सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट 'ख' पैरा संख्या 7.1 (क) में सन्दर्भित

क्रमांक :- GP Takarla /2024-25/ **दिनांक :-**

कार्यालय ग्राम पंचायत टकारला विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

सेवा में ,

कनिष्ठ लेखा परीक्षक ,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षक विभाग ,
शिमला -9

बिषय :- अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 तक पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर के रूप में वसूल की गई राशि वारे सूचना निमन विवरण अनुसार प्रस्तुत है :-

बर्ष	प्रारम्भिक अतिशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	5750 -00	99825-00	105575-00	104285-00	1290-00
2023-24	1290—00	67100-00	68390-00	52700 -00	15690-00

प्रधान
ग्राम पंचायत टकारला
विकास खण्ड अम्ब
तह० अम्ब, जि० ऊना हि० प्र०

पंचायत सचिव ,
ग्राम पंचायत टकारला ,
विकास खण्ड अंब जिला ऊना (हि प्र)

सचिव

परिशिष्ट 'ग' पैरा संख्या 7.2 व 7.3 मैसेन्डरि

क्रमांक :- GP Takarla /2024-25/ **दिनांक :-**

कार्यालय ग्राम पंचायत टकारला विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

सेवा में ,

कनिष्ठ लेखा परीक्षक ,

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षक विभाग ,

शिमला -9

बिषय :- अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 तक पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि वारे सूचना निमन विवरण अनुसार प्रस्तुत है :-

क्र स .	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	प्राप्त योग्य राशि	प्राप्त राशि	बसूली हेतू शेष राशि
1	रोहित शर्मा पुत्र देस राज	16/04/22	02/05/22	352679	200-00	200-00	0
2	विशाल सपेहिया पुत्र हरदयाल सिंह	22/04/22	04/05/22	352681	200-00	200-00	0
3	मनीष कुमार पुत्र ओम प्रकाश	23/04/22	05/05/22	352682	200-00	200-00	0
4	संदीप कुमार पुत्र अनिल कुमार	11/05/22	23/05/22	352683	200-00	200-00	0
5	पंकज कुमार पुत्र परमानंद	10/04/22	25/05/22	352684	400-00	400-00	0
6	आरव मुहम्मद पुत्र नूर मुहम्मद	12/05/22	01/06/22	0	200-00	0	200-00
7	मुकेश कुमार पुत्र कमलेश कुमार	15/05/22	17/06/22	352685	400-00	400-00	0
8	अनुराग भारती पुत्र सुखराम	21/06/22	12/07/22	352687	200-00	200-00	0
9	अमित कुमार पुत्र ओंकार सिंह	27/04/22	14/07/22	352688	400-00	400-00	0
10	प्रदीप कुमार पुत्र शमशेर सिंह	10/06/22	08/08/22	352690	400-00	400-00	0
11	अजय कुमार पुत्र जनक राज	21/06/22	17/08/22	352691	400-00	400-00	0
12	निर्मल सिंह पुत्र महिंदर सिंह	22/06/22	17/08/22	352693	400-00	400-00	0
13	मनमोहन सिंह पुत्र सतनाम	07/07/22	24/08/22	352694	400-00	400-00	0
14	रोहित शर्मा पुत्र सुरिन्दर कुमार	12/08/22	01/09/22	352695	200-00	200-00	0
15	तरसें लाल पुत्र सतीश कुमार	04/12/22	14/12/22	352696	200-00	200-00	0
16	संदीप कुमार पुत्र बक्षीश सिंह	04/12/22	14/12/22	352697	200-00	200-00	0
17	रोहित कुमार पुत्र सुदर्शन कुमार	09/02/23	21/02/23	44249	200-00	200-00	0
18	मुकेश कुमार पुत्र कर्म चंद	07/02/22	23/02/23	0	200-00	0	200-00
19	कार्तिक लठ पुत्र सुभाष लठ	09/02/23	06/03/23	0	200-00	0	200-00
20	रोहित कुमार पुत्र सुरिन्दर कुमार	08/03/23	29/03/23	0	200-00	0	200-00
21	विनय कुमार पुत्र रणजीत	08/03/23	03/04/23	44251	200-00	200-00	0

 Cont - Page - 2 -

	सिंह						
22	मनीष कुमार पुत्र सुरेश कुमार	06/02/23	03/04/23	44253	400-00	400-00	0
23	विवेक शर्मा पुत्र मदन लाल	09/03/23	04/03/23	44252	200-00	200-00	0
24	गगनदीप पुत्र हर्मिन्दर	12/06/23	06/07/23	44258	200-00	200-00	0
25	आयुष भोगल पुत्र कुलदीप सिंह	06/07/23	19/07/23	44259	200-00	200-00	0
26	अजय कुमार पुत्र लाल चंद	21/05/23	27/07/23	44260	400-00	400-00	0
27	नज़ीर मुहम्मद पुत्र गुलजार मुहम्मद	18/07/23	18/08/23	44264	200-00	200-00	0
28	पंकज शर्मा पुत्र रोशन लाल शर्मा	24/09/23	29/09/23	44269	200-00	200-00	0
29	विपण कुमार पुत्र नाम देव	23/10/23	07/11/23	44272	200-00	200-00	0
30	सुरिन्दर कुमार पुत्र तरसेम लाल	19/10/23	09/11/23	44273	200-00	200-00	0
31	लक्षित सिंह पुत्र सुभाष चंद	26/10/23	17/11/23	44274	200-00	200-00	0
32	फ्रैंकी तखी पुत्र राम चंद	22/10/23	18/11/23	44277	200-00	200-00	0
33	पंकज रीहल पुत्र सुरजीत सिंह	09/11/23	08/12/23	44280	200-00	200-00	0
34	राहुल हीर पुत्र जसबीर सिंह	07/12/23	22/12/23	44281	200-00	200-00	0
35	ज़ाहिद कोहली पुत्र मुहम्मद अदरिश	10/12/23	07/01/24	44282	200-00	200-00	0
36	हरिंदर सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह	30/01/24	17/02/24	44288	200-00	200-00	0
37	अमनदीप पुत्र तरसेम लाल	04/02/24	03/03/24	285905	200-00	200-00	0
		कुल जोड़			9200-00	8400-00	800-00

सचिव

पंचायत सचिव,
ग्राम पंचायत टकारला,
विकास खण्ड अंब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

परिशिष्ट घ पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	20 08/22	103 08.11.21	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	शटरिंग	33600	
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	21 08/22	380 01.08.22	Sahil Refrigeration Gagret	Water cooler repair	1800	
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	24 08/22	17 20.07.22	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	रेत, बजरी इत्यादि	23416	
4	मनरेगा	शून्य 08/22	4 02.04.22	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	शटरिंग	28400	
5	मनरेगा	शून्य 03/24	11, 69, 70 01.02.23, 02.05.23	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	मिट्टी	147000	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया

							जाना अपेक्षित था।
6	मनरेगा	शून्य 03/24	242 20.05.23	M/s Sharma Enterprises Takarla	Tools	2870	
7	15वां वित्तायोग	16 03/24	14 20.07.22	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	रेत, बजरी इत्यादि	13178	
8	15वां वित्तायोग	19 03/24	16 20.07.22	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	रेत, बजरी इत्यादि	25410	
9	15वां वित्तायोग	23 03/24	879 02.07.22	Naman Enterprises Satothar	Steel	48617	
10	15वां वित्तायोग	25 03/24	25 21.08.22	Balbir Singh Shuttering Store Takarla	रेत, बजरी इत्यादि	24045	
11	15वां वित्तायोग	33 03/24	1004 07.07.22	Naman Enterprises Satothar	Steel	42204	
					योग	**390540/-**	

Dev Raj
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट ङ· पैरा संख्या ४.५ में संदर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत टकारला, विकास खण्ड अम्ब जिला ऊना (हि प्र)

क्र स	योजना	वाउचर संख्या	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (टनो में)	दर प्रति टन	देय रॉयलटी
1	15thfc	15	Aug-22	नि रास्ता पीर मंदिर से आबादी सफ़ी मुहम्मद फेस -2	32075	05-10-2022	महाबीर स्टोन क्रशर शिव नगर	बजरी	62	80	4960
								रेत	44	80	3520
२	15thfc	16	Aug-22	नि शौचाल्य शमशान घाट शिव नगर टकारला	14	20/07/2022	बलबीर सिंह VPO टकारला	रेत	12	80	960
								बजरी	18	80	1440
3	15thfc	24	Aug-22	नि रास्ता रिग से आबादी ब्रहमना वार्ड न 06 शिव नगर	32061	05-02-2022	महाबीर स्टोन क्रशर शिव नगर	रेत	46	80	3680
								बजरी	52	80	4160
4	15thfc	25	Aug-22	नि रास्ता राम कुमार से आबादी जट धर्म सिंह , चंचला देवी आदि	25	21/08/2022	बलबीर सिंह VPO टकारला	रेत	36	80	2880
								बजरी	16	80	1280
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	24	Aug-22	कार्यपूर्ति सामुदायिक भवन शिव नगर	17	20/07/2022	बलबीर सिंह VPO टकारला	रेत	24	80	1920
								बजरी	28	80	2240
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	75	मार्च -24	नि दुकाने नजदीक GSSS टकारला	3041	03-01-2024	M /S लक्ष्मी स्टोन क्रशर राम नगर ठठल	रेत	12	80	960
								बजरी	20	80	1600
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	84	मार्च -24	नि कॉमन सर्विस सेंटर टकारला	3042	03-01-2024	M /S लक्ष्मी स्टोन क्रशर राम नगर ठठल	रेत	20	80	1600
								बजरी	40	80	3200

8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	98	मार्च -24	मु पुली व रास्ता आबादी जट बस्सी वार्ड न 01	3554	28/03/2024	M /S लक्ष्मी स्टोन क्रशर राम नगर ठठल	रेत	28	80	2240
								बजरी	64	80	5120
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	99	मार्च -24	मु पुली व रास्ता आबादी जट बस्सी वार्ड न 01	3555	28/03/2024	M /S लक्ष्मी स्टोन क्रशर राम नगर ठठल	रेत	24	80	1920
										योग	43680
										25%पेनल्टी	10920
										कुल योग	54600

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड [illegible], जिला [illegible] (हि० प्र०)

30 31

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 8.5 में सन्दर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 में Ojas blocks & Flyash Bricks baduhi को किए गये भुगतान का विवरण						
क्रम संख्या	फ़र्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST के अतिरिक्त)
1	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	66	मार्च -23	3787	01-02-2023	28080
2	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	66	मार्च -23	3789	01-09-2023	31200
3	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	66	मार्च -23	3783	01-01-2023	31200
4	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	67	मार्च -23	3745	15/10/22	7800
5	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	67	सितंबर -23	3694	07-07-2022	39000
6	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	68	सितंबर -23	3693	07-04-2022	39000
7	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	87	सितंबर -23	3700	25/07/22	39000
8	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	88	सितंबर -23	3699	23/07/22	39000
9	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	119	नबम्बर -22	3741	10-09-2022	31200
10	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	141	नबम्बर -22	3744	10-12-2022	31200
11	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	184	मार्च -23	3797	17/03/23	23400
12	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	185	मार्च -23	3796	16/03/23	23400
13	Ojas Blocks & Flyash Bricks Baduhi	186	मार्च -23	3795	14/03/23	23400
					योग	386880

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बलबीर सिंह को किए गये भुगतान का विवरण						
क्रम संख्या	फ़र्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST के अतिरिक्त)
1	बलबीर सिंह VPO टकारला	79	सितंबर -22	12	20/07/22	40949
2	बलबीर सिंह VPO टकारला	80	सितंबर -22	11	20/07/22	6780
3	बलबीर सिंह VPO टकारला	81	सितंबर -22	13	20/07/22	29310
4	बलबीर सिंह VPO टकारला	83	सितंबर -22	15	20/07/22	3500
5	बलबीर सिंह VPO टकारला	122	नबम्बर -22	19	20/07/22	28350
6	बलबीर सिंह VPO टकारला	138	फरबरी -23	33	25/10/22	17250
7	बलबीर सिंह VPO टकारला	139	फरबरी -23	28	10-01-2022	4900
8	बलबीर सिंह VPO टकारला	140	फरबरी -23	34	15/11/22	35369
9	बलबीर सिंह VPO टकारला	181	मार्च -23	56	28/03/23	15244
10	बलबीर सिंह VPO टकारला	187	मार्च -23	54	28/03/23	3114
11	बलबीर सिंह VPO टकारला	190	मार्च -23	57	28/03/23	45277
12	बलबीर सिंह VPO टकारला	12	जुलाई -22	10	20/07/22	19770
13	बलबीर सिंह VPO टकारला	16	अगस्त -22	14	20/07/22	12550
14	बलबीर सिंह VPO टकारला	17	अगस्त -22	22	21/08/22	23584
15	बलबीर सिंह VPO टकारला	18	अगस्त -22	23	21/08/22	1402
16	बलबीर सिंह VPO टकारला	20	अगस्त -22	16	20/07/22	24200
17	बलबीर सिंह VPO टकारला	21	अगस्त -22	20	21/08/22	27135
18	बलबीर सिंह VPO टकारला	22	अगस्त -22	21	21/08/22	3607
19	बलबीर सिंह VPO टकारला	25	अगस्त -22	25	21/08/22	22900
20	बलबीर सिंह VPO टकारला	34	सितंबर -22	26	20/09/22	26482
21	बलबीर सिंह VPO टकारला	42	नबम्बर -22	29	25/10/22	27203
22	बलबीर सिंह VPO टकारला	43	नबम्बर -22	27	21/09/22	44900
23	बलबीर सिंह VPO टकारला	56	फरबरी -23	9	20/07/22	5520
24	बलबीर सिंह VPO टकारला	57	फरबरी -23	37	01-05-2023	27200
25	बलबीर सिंह VPO टकारला	62	फरबरी -23	38	01-06-2023	10200
26	बलबीर सिंह VPO टकारला	64	फरबरी -23	43	28/02/23	30848
27	बलबीर सिंह VPO टकारला	75	मार्च -23	48	28/02/23	21542
28	बलबीर सिंह VPO टकारला	81	मार्च -23	45	28/02/23	29889
29	बलबीर सिंह VPO टकारला	23	अगस्त -22	24	21/08/22	18050
30	बलबीर सिंह VPO टकारला	24	अगस्त -22	17	20/07/22	22300
31	बलबीर सिंह VPO टकारला	50	फरबरी -23	36	01-05-2023	14500
32	बलबीर सिंह VPO टकारला	54	मार्च -23	40	01-07-2023	46550
33	बलबीर सिंह VPO टकारला	54	मार्च -23	39	01-06-2023	46550
34	बलबीर सिंह VPO टकारला	54	मार्च -23	41	01-08-2023	46550
35	बलबीर सिंह VPO टकारला	54	मार्च -23	46	03-12-2023	46550
36	बलबीर सिंह VPO टकारला	54	मार्च -23	42	01-09-2023	46550
					योग	**876575**

सचिव
ग्राम पंचायत टकारला
विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि० प्र०)

32 33

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बलबीर सिंह को किए गये भुगतान का विवरण						
क्रम संख्या	फ़र्म का नाम	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST के अतिरिक्त)
1	बलबीर सिंह VPO टकारला	2	अप्रैल -23	10	04-01-2023	13600
2	बलबीर सिंह VPO टकारला	7	अप्रैल -23	11	04-01-2023	13600
3	बलबीर सिंह VPO टकारला	13	मई -23	13	05-01-2023	28464
4	बलबीर सिंह VPO टकारला	17	मई -23	65	05-01-2023	1360
5	बलबीर सिंह VPO टकारला	34	अक्टूबर-23	101	09-10-2023	4434
6	बलबीर सिंह VPO टकारला	36	अक्टूबर-23	102	09-10-2023	2334
7	बलबीर सिंह VPO टकारला	38	अक्टूबर-23	103	09-10-2023	4703
8	बलबीर सिंह VPO टकारला	41	नवम्बर -23	112	20/11/2023	3900
9	बलबीर सिंह VPO टकारला	49	दिसम्बर -23	123	21/12/2023	2830
10	बलबीर सिंह VPO टकारला	1	अप्रैल -23	59	23/3/2023	9600
11	बलबीर सिंह VPO टकारला	23	जुलाई -23	68	07-10-2023	1950
12	बलबीर सिंह VPO टकारला	29	जुलाई -23	79	19/07/2023	500
13	बलबीर सिंह VPO टकारला	31	अगस्त -23	80	08-12-2023	500
14	बलबीर सिंह VPO टकारला	41	अगस्त -23	81	21/08/23	33275
15	बलबीर सिंह VPO टकारला	47	दिसम्बर -23	106	29/08/2023	2700
16	बलबीर सिंह VPO टकारला	50	दिसम्बर -23	108	14/12/2023	1950
17	बलबीर सिंह VPO टकारला	62	जनवरी -24	128	20/01/2024	3900
18	बलबीर सिंह VPO टकारला	69	फरवरी -24	130	14/02/2024	5300
19	बलबीर सिंह VPO टकारला	73	मार्च 24	141	03-02-2024	12736
20	बलबीर सिंह VPO टकारला	78	मार्च 24	142	03-02-2024	3900
21	बलबीर सिंह VPO टकारला	85	मार्च 24	143	03-02-2024	34440
22	बलबीर सिंह VPO टकारला	90	मार्च 24	147	20/03/2024	1950
23	बलबीर सिंह VPO टकारला	100	मार्च 24	149	28/03/2024	21520
24	बलबीर सिंह VPO टकारला	0	मार्च 24	55	28/03/2023	7480
25	बलबीर सिंह VPO टकारला	0	मार्च 24	58	28/03/2023	18687
26	बलबीर सिंह VPO टकारला	0	मार्च 24	70	05-01-2023	46550
27	बलबीर सिंह VPO टकारला	0	मार्च 24	69	05-01-2023	46550
28	बलबीर सिंह VPO टकारला	0	मार्च 24	71	05-02-2023	46550
					योग	**375263**

सचिव
ग्राम पंचायत टकारला
विकास खण्ड ... (हि० प्र०)

पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

परिशिष्ट छ

ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	Comp. Community centre Shiv Nagar	24,17,13 21.08.22, 20.07.22, 04.06.22	दरबाजे, खिड़कियाँ, रेत, बजरी इत्यादि	94043
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	Comp. Community centre Shiv Nagar	21166 (01.08.22 to 20.08.22)	मजदूरी	29840
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	08/22	Comp. Community centre Shiv Nagar	103 02.08.22	शटरिंग	33600
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	C/O shop Near GSSS Takarla	21192 (01.02.24 to 12.02.24), 141, 437, 3041,1908,197519, 142 dtd. 02.03.24, 29.02.24, 01.03.24, 06,03,24, 03.03.24, 02.03.24	मजदूरी, सीमेंट, रेत इत्यादि	192131
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/24	C/o Common Service Centre Takarla	21191 (13.02.24 to 29.02.24), 132, 436,437, 3042, 143 dtd 25.02.24,	मजदूरी, रेत इत्यादि	197136